

वित्तीय दिशा निर्देशन

कार्यक्रम का नाम – नियमित टीकाकरण

बजट/एफ0एम0आर0 शीर्ष(अनुलग्नक 1 के आधार पर)

वैक्सिन परिवहन हेतु ईंधन के मद में (POL for Vaccine delivery from state to district and PHC/CHC)

एफ0एम0आर0 कोड संख्या – C-11

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0 कोड संख्या (अनुलग्नक 1 के आधार पर)

पार्ट – सी.

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण (5 –10 वाक्य अधिकतम)

राज्य या क्षेत्रिय वैक्सिन स्टोर (WIC/WIF etc)से जिला स्तर तक एवं जिला से पी.एच.सी स्तर तक नियमित रूप से वैक्सिन एवं टीकाकरण से सम्बन्धित अन्य लॉजिस्टिक्स की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिया जा रहा है। इस राशि का उपयोग वैक्सिन वाहन के ईंधन के मद में या इसी कार्य के लिए किराये पर वाहन की व्यवस्था करने हेतु किया जा सकता है।

इकाई राशि (रु0 लाख में)

पी.एच.सी. हेतु रु0 5500 / – प्रति वर्ष की दर से।

रु0 20000 / – प्रतिवर्ष प्रति जिला की दर से।

रु 20000 / – प्रतिवर्ष प्रति डब्ल्यू.आई.सी./डब्ल्यू.आई.एफ./पी.एच.आई. हेतु ।

वित्तीय दिशा निर्देशन

उपरोक्त विवरण के तहत राशि का उपयोग वैक्सिन वैन के ईंधन या किराये पर वाहन की व्यवस्था आवश्यकतानुसार व्यय करें। ईंधन मद में स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्राप्त आवंटन का भी इस मद में यथा आवश्यकतनुसार उपयोग किया जायेगा।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं. तिथि के साथ उल्लेखित करें)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का नाम

डा.गोपाल कृष्ण, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी प्रतिरक्षण

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का फोन नंबर

9470003014 / 0612-2290351

२

h